<u>न्यायालय : अवर न्यायाधीश, अरेराज, पूर्वी चम्पारण।</u>
<u>स्वत्व वाद संख्या 293/2008</u>
<u>सीआइएस 892.18</u>

प्रस्तुत समक्षः **श्री मनीष कुमार पाण्डेय।**

<u>आदेश</u>

दिनांक 02.12.2023 वाद पुकारा गया। मामले में प्रतिवादी की तरफ से एक आवेदन प्रस्तुत किया गया प्रतिवादी का कथन है कि मामले में दिनांक 06.07.2023 को वादी का गवाह रामएकबाल साह साक्षी के रूप में न्यायालय में उपस्थित थे परन्तु अधिवक्ता के स्थानांतरण होने के कारण गवाह का प्रतिपरीक्षण नहीं हो सका है नये अधिवक्ता के आगमन पर पुनः साक्ष्य के लिए तिथि 07.10.2023 में निर्धारित की गयी परन्तु तारीख की सही जानकारी नहीं होने के कारण साक्षी का प्रतिपरीक्षण नहीं हो सका है। अतः गवाह के प्रतिपरीक्षण की इजाजत देने की कृपा की जाए।

वादी की तरफ से आवेदन का विरोध करते हुए कहा गया कि मामले में वादी का गवाह उन्मुक्त कर दिया गया है अतः मामले में प्रतिवादी के आवेदन को अस्वीकृत करने की कृपा की जाए ।

उभय पक्षों को सुना, पत्रावली का अवलोकन किया । अवलोकन के पश्चात न्यायालय यह पाती है कि मामले में दिनांक 07.10.2023 को वादी के गवाह की उपस्थिति थी परन्तु बार–बार पुकार पर जब प्रतिवादी साक्ष्य हेतु प्रतिपरीक्षण के लिए उपस्थित नहीं हुए तब न्यायालय द्वारा साक्षी को उन्मुक्त कर दिया गया । मामले में चूंकि लापरवाही प्रतिवादी की थी अतः न्यायहित में 500 रु0 खर्चे जो गवाह को दिया जाएगा। प्रतिवादी का आवेदन स्वीकृत किया जाता है। वाद दिनांक ....वास्ते साक्ष्य।

लेखापित तथा संशोधित

अवर न्यायाधीश
अरेराज (पूर्वी चम्पारण)